(1)

संख्या–वे0आ0–1–336(2)/दस–2009–42(एम)/08

प्रेषक,

श्री अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
(3) शिक्षा निदेशक (उच्च शिक्षा)/शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश–8वाँ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 01, जून, 2009

विषयः–राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के ऐसे कर्मचारियों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित नही हुए हैं, को महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2009 से बढ़ी हुई दर पर भुगतान।

———

पठित निम्नलिखितः–

(1) शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–975/दस–2005–41/04, दिनांक 22 सितम्बर, 2005
(2) शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–72/दस–2006–31/04, दिनांक 31 जनवरी, 2006
(3) शासनादेश सं0–वे0आ0–1–1810/दस–2008–42(एम)/08, दिनांक 05 जनवरी, 2008
(4) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापनः–संख्या–1 (3)/2008–संस्था–।।(ख), दिनांक 19 मार्च, 2009

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–वे0आ0–1–1810/दस–2008–42(एम)/08, दिनांक 05 जनवरी, 2009 के क्रम में राज्यपाल महोदय ने प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण

संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्ण कालिक कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत ऐसे पदधारकों, जिनके द्वारा वेतन समिति उ0प्र0 (2008) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन नही किया गया है अथवा जिन पर पुनरीक्षित वेतन संरचना लागू नही है अथवा जिनके वेतनमान दिनांक 01–01–2006 से पुनरीक्षित नही हुए है, को संशोधित दर पर महंगाई भत्ते का दिनांक 01 जनवरी, 2009 निम्नानुसार भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:–

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जनवरी, 2009	वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 64 प्रतिशत

2–इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या–वे0आ0–1–1599/दस–42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर–3,5 एवं 7 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

3–इन आदेशों द्वारा स्वीकृत संशोधित दर पर महंगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2009 से दिनांक 31 मई, 2009 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 जून, 2009 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर व्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा। इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 मई, 2010 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोड़कर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अंतिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान, दिनांक 01 जून, 2009 से (माह जून, 2009 का भुगतान दिनांक 01 जुलाई, 2009 को देय) नकद किया जायेगा। यदि कोई अधिकारी/ कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी। महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि लेखा में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेडयूल/चालान पर शासनादेश संख्या–सा0– 4–12/दस–97–500(1)–97, दिनांक 07 अक्टूबर, 1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगाई जानी चाहिए।

4–जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गयी हों अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 31 मार्च, 2010 तक सेवा निवृत्त होने वाले हों, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाया की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,
अनूप मिश्र,
प्रमुख सचिव।

संख्या–वे0आ0–1–336(3)/दस–2009–42(एम)/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)–1 एवं 2 तथा (आडिट)–1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

(4) वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वेतन अनुसंधान एकक), भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) कमरा नं0–261, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001

(5) प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, लखनऊ।

(6) प्रमुख सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(8) रीजनल प्राविडेन्ट फण्ड कमिश्नर, कानपुर।

(9) अपर निदेशक, कोषागार शिविर कार्यालय, नवीन कोषागार भवन (प्रथम तल) कचहरी रोड़, इलाहाबाद।

(10) निदेशक, पंचायती राज (लेखा) इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (90 अतिरिक्त प्रतियों सहित जो समस्त वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश को भेजी जायेगी) ।

(11) निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(12) निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(13) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण व्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।

(14) शिक्षा अनुभाग–3,5,6,8 और 11, उच्च शिक्षा अनुभाग–2 व 4, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 व 2, नगर विकास अनुभाग–1 तथा पंचायती राज अनुभाग–1, सावर्जनिक उद्यम अनुभाग–1 व 2 (अतिरिक्त प्रतियों सहित)।

(15) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)

(16) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(17) गार्ड बुक।

आज्ञा से,

अजय अग्रवाल,

विशेष सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 14 सा० वित्त–2–6–2009–(358)–6,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर/आफसेट)।